कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / माध्य / माध्यमिक / शालादर्पण / 60302 / 2016–17 / 158 दिनांक :– 19.11.18

समस्त संयुक्त निदेशक संभाग

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक / प्रारंभिक(मुख्यालय)

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विषय : शालादर्पण व शालादर्शन पर उपलब्ध सूचनाओं का अधिकतम उपयोग करने के संबंध में।

प्रसंग : 1. श्रीमान आयुक्त महोदय के पत्रांक रा.स्कूल शि.प. / जय / शालादर्पण / 2018 / 408 दिनांक :2.11.18

2. कार्यालय के पत्रांक शिविरा–मा / माध्य / शालादर्पण / 60306(2) / 2017–18 / दिनांक :–12.09.17

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों, कार्मिकों तथा विद्यार्थियों की समस्त सूचनाएं विद्यालय स्तर से दर्ज की गई सूचनाओं के आधार पर राज्य, संभाग, जिला व ब्लॉक स्तरीय शालादर्पण/शालादर्शन कार्यालय लॉगिन पर उपलब्ध हैं। प्रासंगिक पत्रों के द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि शालादर्पण तथा शालादर्शन पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का अधिकतम उपयोग किया जावे तथा पोर्टल पर उपलब्ध सूचना विद्यालयों से सीधे नहीं माँगी जावे। पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य प्रारूप में सूचना की आवश्यकता होने पर शालादर्पण/शालादर्शन प्रकोष्ठ बीकानेर तथा जयपुर से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त की जाये। परंतु यह लगातार देखने में आया है कि कार्यालयों के द्वारा सीधे ही संस्था प्रधानों से सूचनाएं माँगी जा रही हैं, जिसे उच्चाधिकारियों द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया गया है।

अतः समस्त कार्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शालादर्पण/शालादर्शन पर उपलब्ध सूचनाएं संस्था प्रधानों तथा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी(PEEO) से नहीं माँगी जावे। उक्त निर्देशों की प्रत्येक स्तर पर कठोरता से पालना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

उपरोक्त को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

संलग्न :–प्रासंगिक पत्र।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त , राज. स्कूल शि. प., जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राज. स्कूल शि. प., जयपुर।
4. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग बीकानेर
5. प्रभारी शालादर्पण / शालादर्शन प्रकोष्ठ जयपुर।
6. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(शिवप्रसाद)
उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

Shala Darpan राजस्थान

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2700872, E-mail: shaladarpanjpr@gmail.com, rmsaccr@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प./जय/शालादर्पण/2018/408 दिनांक :- 2-11-2018

राज्य परियोजना निदेशक, राज. स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर।

विषय :- **शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल की रिपोर्टस का उपयोग करने एवं हार्डकॉपी में सूचनाओं के आदान-प्रदान को रोकने के संबंध में।**

जैसा कि आप को विदित है कि स्कूल शिक्षा विभाग के एमआईएस पोर्टल शालादर्पण/दर्शन पर विद्यालय स्तर से दर्ज की गई सूचनाओं के आधार पर समस्त रिपोर्टस् राज्य, संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों के लॉगिन पर उपलब्ध है। अतः आपके अधीनस्थ कार्यालयों को निदेर्शित करावें कि विभाग की आवश्यकतानुसार सूचनाऐं पोर्टल से ही प्राप्त करे तथा विद्यालय स्तर से हार्डकॉपी या वाहक स्तर पर किसी प्रकार की सूचनाऐं नहीं मंगवाई जाए। साथ ही समस्त संस्था प्रधानों को पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टियां समयबद्ध रुप से करने के लिए पाबंद करें जिससे पोर्टल पर अद्यतन व सही सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें। यदि किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स वर्तमान में पोर्टल पर उपलब्ध नही है तो संबंधित कार्यालय, मय प्रारुप शाला दर्शन/दर्पण प्रकोष्ट जयपुर या बीकानेर से संपर्क कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

उक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।

31/10/18

(डॉ0 राजेश शर्मा)
आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
एवं विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमाकः– शिविरा–मा/माध्य/शालादर्पण/60306(2)/2017–18 दिनांक – 12.9.2017

समस्त उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

अति– आवश्यक

विषयः–शालादर्पण एवं शालादर्शन पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने के संबंध में ।

प्रसंग :–शासन का पत्रांक प.4(16)शिक्षा–1/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 15.11.16 एवं इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक शिविरा–मा/माध्य/शालादर्पण/60306 /16–17 /108 दिनांक 24.11.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में लेख है कि शिक्षा विभाग के अधीन संचालित माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों के संबंध में सूचनाएं क्रमशः शालादर्पण एवं शालादर्शन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था कि पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का अधिकतम उपयोग करते हुए विद्यालयों से सीधे सूचनाएं नहीं मांगी जावे, बावजूद इसके यह देखने में आ रहा है कि कार्यालयों द्वारा सीधे ही संस्था प्रधानों से सूचनाऐं मांगी जा रही है जिसे शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

अतः इस पत्र द्वारा समस्त कार्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शालादर्पण एवं शालादर्शन पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाएं संस्था प्रधानों तथा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) से नहीं मांगी जावे । आवश्यक सूचना पोर्टल पर ही अद्यतन करवाकर उपयोग करें तथा उपलब्ध सूचना के अतिरिक्त अन्य प्रारूप में आवश्यकता होने पर शालादर्पण/शालादर्शन प्रकोष्ठ बीकानेर तथा जयपुर से संपर्क करें। उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(पी.सी. किशन)
आईएएस
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् राजस्थान जयपुर ।
4. प्रभारी शालादर्पण प्रकोष्ठ/शालादर्शन प्रकोष्ठ जयपुर /बीकानेर ।
5. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
6. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर